न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
123/2025	13.06.2025	24.06.2025

अनवान

1. कमलेश पुत्र सोहन जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी सुरपुरी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. चान्दी पुत्री गेहरीलाल जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी सुरपुरी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. नारायणी बाई पत्नी उदा जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी सुरपुरी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. नोजीराम दत्तक पुत्र गैरू जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी सुरपुरी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. प्रकाश पुत्र सोहन जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी सुरपुरी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
6. प्रेम पुत्री गेहरीलाल जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी सुरपुरी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
7. भवंरी पुत्री गेहरीलाल जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी सुरपुरी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
8. रतनलाल पुत्र लोभा जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी सुरपुरी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
9. हेमरी पत्नी सोहन जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी सुरपुरी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
10. अमरलाल पुत्र लेहरू जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी सुरपुरी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
11. धनराज पुत्र लेहरू जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी सुरपुरी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
12. प्रकाश पुत्र सोहन जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी सुरपुरी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
13. प्रेम पुत्री गेरू जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी सुरपुरी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
14. बालु पुत्र लेहरू जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी सुरपुरी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
15. भुरी पत्नी लेहरू जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी सुरपुरी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
16. रूपलाल पुत्र लेहरू जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी सुरपुरी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
17. चम्पालाल पुत्र नारायण जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी सुरपुरी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
18. पारस पुत्री नारायण जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी सुरपुरी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
19. रतनी पुत्री नारायण जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी सुरपुरी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
20. वरजी बाई पत्नी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी सुरपुरी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

(मुहर: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन जिला-चित्तौड़गढ़)

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौडगढ

प्रार्थीगण

बनाम

1. चान्दी पत्नी रामा जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी सुरपुरी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. उदी पत्नी चुना जाति रेगर आयु वयस्क निवासी सुरपुरी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. नाथु पिता खुबा जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी सुरपुरी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. रामा पिता लेला जाति रेगर आयु वयस्क निवासी सुरपुरी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. भगवान पुत्र शंकर जाति लोदा आयु वयस्क निवासी सुरपुरी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
6. सुगना पत्नी कैलाश जाति वैष्णव आयु वयस्क निवासी सुरपुरी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री सैयद फिरोज अली — प्रार्थीगण
अधिवक्ता श्री नन्द किशोर चौहान — अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सुरपुरी पटवार हल्का सुरपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 10 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 182, 184, 185, 186, 187, 190, 191, 194, 195, 197, 198, 199, 205, 206, 50, 51, 52, 53, 54 कुल किता 19 कुल रकबा 4.18 हैक्ट0 तथा खाता संख्या 11 के आ0सं0 189, 192, 200, 203, 275, 277, 278 कुल किता 07 कुल रकबा 1.20 हैक्ट0 तथा खाता संख्या 63 के आराजी संख्या 229, 230, 252, 255, 256, 257 कुल किता 6 कुल रकबा 1.46 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा–चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के संयुक्त खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री नन्द किशोर चौहान का अधिकार पत्र प्रस्तुत व आदेशिका पर हस्ताक्षर कर पत्थरगढी किये जाने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के संयुक्त खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर–बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौडगढ

विवेचन के क्रम मे प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के संयुक्त खातेदार काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात मौजा सुरपुरी पटवार हल्का सुरपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 10 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 182, 184, 185, 186, 187, 190, 191, 194, 195, 197, 198, 199, 205, 206, 50, 51, 52, 53, 54 कुल किता 19 कुल रकबा 4.18 हैक्ट0 तथा खाता संख्या 11 के आ0सं0 189, 192, 200, 203, 275, 277, 278 कुल किता 07 कुल रकबा 1.20 हैक्ट0 तथा खाता संख्या 63 के आराजी संख्या 229, 230, 252, 255, 256, 257 कुल किता 6 कुल रकबा 1.46 हैक्ट0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो, किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावे। पत्थरगढी हेतु भू0अभि0निरी0 पाण्डोली को 1000/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका एवं मौका नक्शा इस न्यायालय में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। पालनार्थ तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 24.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन • जिला–चित्तौडगढ़ •

(सुरेश कुमावत)
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन चित्तौडगढ